

भारतीय गैर-न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

ONE

HUNDRED RUPEES

Senior Treasury Officer
Postmaster

26 JUN, 2023

Cashier

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

FY 506826

(प्राप्ति-“आ”)

सत्र 2023-24 में नवस्थापित की जाने गाली डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थाओं की सोसाइटी/ड्रस्ट के अध्यक्ष और सचिव द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले नोटरी शपथ-पत्र का प्रारूप :-

हम शिवगारायण एवं राधेलाल वर्मा कमाज़ अध्यक्ष एवं सचिव, जानकी प्रसाद वर्मा मेमोरियल शिक्षण संस्थान ग्राम-कोटवा सड़क, पोस्ट-हाथीघाट, तहसील-रामसनेहीघाट, जिला-बाराबंकी शपथपूर्वक निम्नान्वत् बयान करते हैं -

1. यह कि, हमारी सोसाइटी द्वारा दुर्गा फार्मेसी कॉलेज, ग्राम-कोटवा सड़क, परगना-सूर्पुर, तहसील-राम सनेही घाट, जिला-बाराबंकी नामक डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान सत्र 2023-24 से किया जाना प्रत्यापित है।
2. यह कि, हमारी सोसाइटी के नाम ग्राम-कोटवा सड़क, परगना-सूर्पुर, तहसील-राम सनेही घाट, जिला-बाराबंकी में गाठा रास्था-79 रक्का 0.235 एवं गाठा सं.-94 रक्का 0.3467 को एवं लीज पर प्राप्त भूमि गाठा सं.-78 रक्का 0.2495 हे. कुल रक्का-0.8312 हेक्टेयर भूमि है।
3. यह कि, उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद कित्ती भी न्यागालाय में नहीं चल रहा है और भूमि विवाद रहित है।
4. यह कि, उपरोक्त पते पर सोसाइटी के नाम उपलब्ध भूमि के गाठा संस्था-79 रक्का 0.235 एवं गाठा सं.-94 रक्का 0.3467 को एवं लीज पर प्राप्त भूमि गाठा सं.-78 रक्का 0.2495 हे. कुल रक्का-0.8312 हेक्टेयर पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रताव रोसाइटी की ओटक दिनांक 06.05.2022 द्वारा पारित किया गया है।

सचिव

जानकी प्रसाद वर्मा मेमोरियल शिक्षण
संस्थान, बाराबंकी

लाल

जानकी प्रसाद वर्मा मेमोरियल शिक्षण
संस्थान, बाराबंकी

5. यह कि, उपरोक्त भूग्री पर ही प्रश्ननाल डिप्लोमा फार्मरी संस्थान के संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित नवशो के अनुसार किया गया है।
6. यह कि, निरीक्षण रागिति के समझ उपरोक्त पते पर रोसाइटी के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं नेहरीरित भवनों को ही निरीक्षण रागिति के रागड़ निर्माण हेतु प्रस्तुत किया गया है।
7. यह कि, इस भूमि एवं इस पर निर्मित गवर्नरों पर फार्मसी कालनिस्ल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के नियमों के अंतर्गत ही डिप्लोमा फार्मसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।
8. यह कि, इस संस्था में फार्मरी कालनिस्ल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद रो राजबद्द पाठ्यक्रम एवं प्रबोध कागजात के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रविधिक प्रदान किया जायेगा।
9. यह कि, उपरोक्त भूग्री पर निर्मित भवनों में फार्मरी कालनिस्ल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद च०प्र० लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/विद्याविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/विद्यालय/गठाविद्यालय/आईटीआईटी आदि पर संचालन न हो पूर्व में कभी किया गया है, और न ही भविष्य में होनी किया जायेगा।
10. यह कि, संस्थान के रांचालन हेतु जागरूक बलारा रूप प्रयोगशालाओं एवं कार्टशालाओं आदि को फार्मरी कालनिस्ल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के गानकों के अनुसार ही सुरक्षिता किया जायेगा।
11. यह कि, संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशीक्षिक रहाफ़ाली रोनाली सोसाइटी द्वारा सत्र प्रारंभ के पूर्व कर लिया जायेगा।
12. यह कि, शासन/परिषद द्वारा निर्देशों/आदेशों का भजीभाँति पालन करेंगा। यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय रथलींग निरीक्षण में गानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं राजबद्दा सागिति द्वारा लिया गया नियंत्रण अतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।
13. मैं भीषण करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त चूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख/दस्तावेज फली बदूरीमेत अस्वीकृति वाली त्रॉटेपूर्ण पाये जाते हैं तो मैं विश्वास परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकती। ऐसी जो गयी विविध कार्यवाही हेतु मैं स्वां उत्तरदाती होऊंगा।

८० राजिव

संकेत

जानकी प्रसाद राज बोलियत शिक्षा
संस्थान, बाराबंकी

८० अश्वा

विद्यका

जानकी प्रसाद राज बोलियत शिक्षा
संस्थान, बाराबंकी

